राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2301/2014

श्रीमती अंजना माथुर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

2. प्राचार्य, राजकीय बालिका कॉलेज (राजकीय कन्या महाविद्यालय), अजमेर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.12.2014

आदेश की दिनांक : 09.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. ऋचा देवानी, ओआईसी

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को एलडीसी के पद पर वर्ष 1984 से नियमित मानते हुये उसे वेतनमान आदि का लाभ प्रदान किया जावे और दिनांक 26.12.2002 से मई, 2003 तक का वेतन प्रदान किया जावे और समस्त वार्षिक वेतन वृद्धियां वर्ष 2003 से दी जावे तथा 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर सभी चयनित वेतनमान आदि का लाभ मय शेष राशि ब्याज सहित भुगतान किये जाने के निर्देश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी पूर्व में सावित्री बालिका महाविद्यालय, अजमेर, जिसका प्रशासन एसडीएम, अजमेर के नियंत्रणाधीन था और 90 प्रतिशत अनुदानित था अपीलार्थी ने स्नात्कोत्तर हिंदी वर्ष 1979 एवं स्नात्कोत्तर सामाजिक विज्ञान वर्ष 1986 में उत्तीर्ण की और वर्ष 1982 में पुस्तकालय का कोर्स पूर्ण किया, जिसमें उसने डिग्री इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, दिल्ली से वर्ष 1992 में तथा पीजी लाईब्रेरी साईंस में वर्ष 1998 में प्राप्त की। अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 30.10.1980/13.11.1980 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर हुई थी और दिनांक 01.02.1983 से स्थायी किया गया। अपीलार्थी चयन प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 14.01.1984 से एलडीसी के पद पर उसे वेतनमान 490–840 सभी वेतन भत्ते आदि जोडते हुये नियुक्त की गई और आदेश दिनांक 11.08.1986 के द्वारा उसे स्थायी किया गया। अपीलार्थी आदेश दिनांक 16.01.1995 के द्वारा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतनमान 1200–2050 पर नियुक्त की गई और आदेश दिनांक 26.12.2002 के द्वारा अपीलार्थी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर ही वापिस पदस्थापित कर दिया गया, जिसको अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान गैर सरकारी शिक्षा संस्थान अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की और आदेश दिनांक 12.05.2003 में यह निर्देश दिये गये। *''प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.12.2002 को निरस्त किया जाता है और अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभों सहित सेवा में पुनः पदस्थापित किया जाता है, अपीलार्थी की सेवायें निरंतर मानी जायेंगी।''* जिसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अधिकरण के आदेश दिनांक 12.05.2003 को चुनौती दी गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिकरण के आदेश की पालना में अपीलार्थी को एलडीसी के पद की शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया और उसे दिनांक 03.06.2003 से एलडीसी पद का वेतनमान दिया गया, परंतु वर्ष 1984 से वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई। जबकि वह उक्त वृद्धि प्राप्त करने की अधिकारी है। अपीलार्थी ने 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवायें संतोषजनक पूर्ण की हैं और आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार चयनित वेतनमान प्राप्त करने की हकदार है, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को न्याय की मांग का नोटिस विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रेषित किया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। उनका कथन है कि पूरा प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रबंधन तथा उत्तरदायित्व राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और आदेश दिनांक 01.09.2011 के द्वारा राज्य सरकार के अधीन है और इस प्रकार अपीलार्थी शिक्षा विभाग की राजकीय सेवक है। अपीलार्थी ने पुनः अपने अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित कर अधिकरण

के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को एलडीसी के पद पर वर्ष 1984 से नियमित मानते हुये उसे वेतनमान आदि का लाभ प्रदान किया जावे और दिनांक 26.12.2002 से मई, 2003 तक का वेतन प्रदान किया जावे और समस्त वार्षिक वेतन वृद्धियां वर्ष 2003 से दी जावे तथा 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर सभी चयनित वेतनमान आदि का लाभ मय शेष राशि ब्याज सहित भुगतान किये जाने के निर्देश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ओआईसी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि आदेश दिनांक 01.07.2011 को सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर को राजस्थान सरकार ने अधिग्रहित कर राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर में विलय कर दिया एवं गैर अनुदानित पदों पर कार्यरत उक्त अपीलार्थी को राजस्थान राज्य से गैर सरकारी संस्था अधिकरण के स्टे के आधार पर राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर को सौंपा। तब से अपीलार्थी पुस्तकालय में अपने पूर्व कार्य को कर रही है और शेष छात्रा कोष की राशि से पूर्वानुसार अपीलार्थी को वेतन भुगतान किया जा रहा है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि आदेश दिनांक 01.07.2011 को सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर को राजस्थान सरकार ने अधिग्रहित कर राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर में विलय कर दिया एवं गैर अनुदानित पदों पर कार्यरत उक्त अपीलार्थी को राजस्थान राज्य से गैर सरकारी संस्था अधिकरण के स्टे के आधार पर राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर को सौंपा। तब से अपीलार्थी पुस्तकालय में अपने पूर्व कार्य को कर रही है। जहां तक अपीलार्थी को एलडीसी के पद पर वर्ष 1984 से नियमित मानते हुये उसे वेतनमान आदि का लाभ नहीं दिये जाने और दिनांक 26.12.2002 से मई, 2003 तक का वेतन प्रदान नहीं किये जाने तथा 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर सभी चयनित वेतनमान आदि का लाभ प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–2 कार्यालय आदेश दिनांक 23.111984 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पुस्तकालय विभाग में छात्रा निधि कोष से सृजित नये कनिष्ठ लिपिक के विपरीत वेतनमान

490–840 में मूल वेतन रूपये 490 तथा राजकीय नियमानुसार देय मंहगाई भत्ते पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की गई तथा उक्त पद का वेतन छात्रा निधि कोष से उठाये जाने का आदेश जारी किया गया। आदेश दिनांक 11.08.1986 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को स्थायी किया गया और अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की तरह ही मंहगाई भत्ते एवं भविष्य निधि का लाभांश प्रदान किये जाने का आदेश जारी किया गया और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 06.11.2008 (अनुलग्नक–5) के अवलोकन से स्पष्ट है कि 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया गया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 16.10.2008 के द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि *''सभी कर्मचारियों को 9, 18 एवं 27 द्वारा लाभ दिया जा रहा है और आपका केस कोर्ट में चल रहा है। इसलिये आपको उपरोक्त लाभ देना संभव नहीं है। जब तक आप अपना कोर्ट केस वापस नहीं लेते तब तक आपका वेतन नियमित दिया जाना संभव नहीं होगा।''* इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है जबकि हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतनमान के अंतर्गत एलडीसी के पद पर पदस्थापित किया गया है एवं महंगाई भत्ते आदि का लाभ प्रदान किये जाने का आदेश जारी किया गया है, परंतु चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने से अनावश्यक रूप से अपीलार्थी को वंचित किया जा रहा है। इस प्रकार ऐसी स्थिति में हम प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश देना उचित समझते हैं कि अपीलार्थी की सेवाओं के संबंध में नियमानुसार उचित कार्यवाही करते हुये चयनित वेतनमान, वेतन वृद्धि एवं समस्त सेवा लाभ आदि नियमानुसार प्रदान करने हेतु विचार किया जावे और अपीलार्थी को सूचित किया जावे। उक्त संबंध में कार्यवाही इस आदेश के जारी होने की तिथी से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)